मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2005-जनवरी 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2006 (पौष 14, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 42 वॉं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघव जी, वित्त मंत्री -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -
- (i) वित्त लेखे वर्ष 2004-2005,
- (ii) विनियोग लेखे वर्ष 2004-2005; एवं
- (iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(ख) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 50 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-2005, तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेन्ट इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2003 एवं दिनांक 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(4) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां), पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005,

(ख) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005, तथा

(ग) क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9, दिनांक 13 अक्टूबर, 2005,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती अलका जैन, सदस्य, कटनी जिले के रीठी विकासखण्ड अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री के,पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बंड़ा के सरपंच की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे,

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) ग्राम गौरिहार, ठकुर्रा एवं मुड़ाहार में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(ख) ग्राम गौरिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन लगाये जाने,
(ग) ग्राम मुडेरी से गौरिहार तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम सरवई में समाज भवन बनाये जाने,
(ङ) नगर पंचायत चांदला को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराये जाने, तथा
(च) ग्राम ठकुर्रा से गौरिहार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री दशरथ सिह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये जाने,

(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ग्राम पिपलोदी में ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा
(ख) ग्राम सिरोंजी में तालाब निर्माण कराये जाने,

(4) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम बेलवा पैरान में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम बेलवा पैरान में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, दिनांक 5 जुलाई, 2004 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 1377) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्याय पीठ को अपील) विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा 30 मि

(2) प्रदेश में सिंचाई हेतु बांधों से समय पर पानी नहीं छोड़े जाने तथा नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक: 3 जनवरी, 2006